

कार्यालय आदेश

सर्वश्री पी० के० हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 12.08.2020 को आहूत पी०सी०सी० की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में बियाडा के पत्रांक 2595 दिनांक 31.08.2020 के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दरपुर में भूखण्ड संख्या D-4 रकवा 65340 वर्गफीट (1.50 एकड़) भूमि का आवंटन Fruits & Vegetable (F&V) Processing (Tomato, Onion and Potato) इकाई के स्थापना हेतु किया गया था।

भू-आवंटन पत्र में निहित शर्तों के अनुसार इकाई को 15 दिनों के अंदर भूमि मूल्य का भुगतान किया जाना था। इस संबंध में इकाई को पत्रांक 3041 दिनांक 11.09.2021 के द्वारा स्मार पत्र भी निर्गत किया गया परन्तु इकाई के द्वारा भूमि का भुगतान नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि इकाई को उद्योग स्थापना में कोई अभिरुची नहीं है, जो कि भू-आवंटन पत्र में निहित शर्त की कंडिका 20.A.a का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त स्थिति में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, अधिनियम 1974, बियाडा संशोधन अधिनियम 2017 तथा अन्य सुसंगत नियमों/प्रावधानों के तहत सर्वश्री पी० के० हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दरपुर में आवंटित प्लॉट संख्या-D-4 रकवा 65340 वर्गफीट (1.5 एकड़) का आवंटन रद्द किया जाता है।

रद्द किये गये भूमि पर भविष्य में उद्यमी का किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।


प्रबंध निदेशक का आदेश
(दिनांक 17.11.2021)

ह०/-
कार्यकारी निदेशक (मु०)

ज्ञापांक:- 3890/D

दिनांक:- 27/11/21

प्रतिलिपि:- M/s P K Hospitality Services Pvt. Ltd., Managing Director-Sri Pravin Kumar Agarwal, At-142, Garuda House, Upper Govind Nagar, Malad East, District-Mumbai, Maharashtra-400097 / लेखा शाखा, बियाडा पटना / अमीन, बियाडा, पटना / आई०टी० शाखा / क्षेत्रीय प्रभारी, औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दरपुर / प्र० नि० कोषांग, बियाडा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


कार्यकारी निदेशक (मु०)